E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.in
Phone/Fax No :- 01372-252175

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 994 / 29-3(3) दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 18 /2023

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—54/2023 रत्नेश्वर जन कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 के अनुपालन के संबध में।

सन्दर्भः— अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक—33889/2023/ Environment Conseravation and Climate Change Section/142333/2023 दिनांक 01.08.2023 व जिलाधिकारी चमोली का पत्र संख्या—440/इक्कीस—एल0बी0सी0—I/2021—22, दिनांक 07.08.2023।

महोदय,

अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का उपरोक्त संदर्भित पत्र आपको सम्बोधित व जिलाधिकारी चमोली के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र इस कार्यालय को प्राप्त है के क्रम में अनुरोध करना है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—54/2023 रत्नेश्वर जन कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 में चाही गयी सूचना व बिन्दुवार आख्या संलग्न कर आपको प्रेषित की जाती है।

संलग्नः— यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी चमोली कों उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में मय संलग्न सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः— यथोपरि।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Before The National Green Tribunal, Principal Bench New Delhi
Orignal Application No. 54/ 2023

Ratneshwar Jan Kalyan Samiti
…….……..Applicant.

Versus

State of Uttarakhand and 5 others
……………Respondent.

महोदय,

मूल प्रार्थना पत्र संख्या 54/2023 में प्रतिवादी संख्या 03 के रूप में अंकित प्रभागीय वनाधिकारी जनपद चमोली को प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) उत्तराखण्ड, देहरादून ने प्रतिउत्तर देने हेतु मुझ प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को नामित किया है। मूल प्रार्थना पत्र संख्या 54/2023 का प्रतिउत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1 – यह कि आवेदक के उक्त प्रार्थना पत्र में कथन जिस प्रकार अभिलिखित है, स्वीकार नहीं है। अभिलेखानुसार स्पष्ट करना है कि ग्राम बैनीताल, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली उत्तराखण्ड के खसरा फसली वर्ष 1427 से 1432 के अनुसार ग्राम बैनीताल के **खसरा नं0 71 में 2.0060 हे0 रकवा तालाब के रूप में दर्ज है,** जो स्थानीय जनता में **बैनीताल झील** के नाम से प्रसिद्ध है एवं ग्राम बैनीताल की खतौनी **फसली वर्ष 1427–1432** के खाता क्रमांक 00001 में श्री राजीव सरीन, श्री अजीत सरीन पुत्रगण प्रेमनाथ एवं श्री आदित्य सरीन पुत्र श्री राजीव सरीन समस्त निवासीगण ए–132, न्यू फ्रैन्डस कॉलोनी, नई दिल्ली के नाम से कुल 21.1860 हे0 रकवा दर्ज है। इसी भूमि के अन्दर खसरा नं0 71 रकवा 2.0060 हे0 **(बैनीताल झील)** भी सम्मिलित है, जिससे स्पष्ट है कि बैनीताल झील सरीन परिवार की निजी भूमि में स्थित है। **(संलग्नक 01 अ– खसरा , 1 ब– खतौनी, 1 स– नक्शा ग्राम बैनीताल की छायाप्रति।)**

2 — उक्त सन्दर्भित झील को संरक्षित करने के लिए मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के प्रार्थना संख्या 54/2023 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2023 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 02 जिलाधिकारी चमोली द्वारा अपने आदेश संख्या 3238/इक्कीस एल0बी0सी0–12/2021–23 दिनांक 23.03.2023 से बैनीताल झील के समीप वृक्षों के पातन एवं अतिक्रमण आदि को रोकने के उपाय हेतु जिलाधिकारी चमोली द्वारा समिति गठित की गई। **(संलग्नक 02)** इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, चमोली अध्यक्ष, प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर, सदस्य सचिव, उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग, सदस्य, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्णप्रयाग सदस्य, तहसीलदार कर्णप्रयाग, सदस्य नामित किये गये, इसके अलावा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के नामित सदस्य श्री अनुराग नगी को भी बुलाया गया। इसके उपरान्त उक्त समिति द्वारा दिनांक 06.04.2023 को बैनीताल झील का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें डा0 ललित नारायण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी चमोली, श्री सर्वेश कुमार दुबे, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, श्रीमती पूजा रावल, उप प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के प्रतिनिधि श्री अनुराग नेगी पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, श्री दिनेश चन्द्र पुरोहित, सहायक अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्णप्रयाग, श्री विजेन्द्र सिंह गुंसाई, राजस्व निरीक्षक सिमली, श्री हरीश कुमार पोखरियाल, राजस्व उप निरीक्षक कोटी, श्री भरत सिंह नेगी वन क्षेत्राधिकारी, नारायणबगड़, श्री बलवन्त सिंह खत्री, वन दरोगा, श्री प्रेम चन्द्र गौड़, वन आरक्षी, श्री दिगपाल सिंह कठैत, श्री रमेश रतूड़ी, श्री उमा प्रसाद रतूड़ी, श्री एस0के0 डिमरी, श्री प्रेम सिंह, श्री कमल सिंह, श्री मदन सिंह (स्थानीय ग्रामवासी) एवं श्री सोबत सिंह रावत, अर्दली तथा श्री राजीव सरीन प्रतिवादी संख्या 05 सम्मिलित थे। **(संलग्नक 03)**

3 — ग्राम बैनीताल के खसरा नम्बर–71 रकवा 2.0060 हे0 में राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज है तथा खतौनी के खाता संख्या 00001 के खाता धारक श्री राजीव सरीन, अजीत सरीन पुत्रगण प्रेमनाथ, आदित्य सरीन पुत्र राजीव सरीन, ए–132 न्यू फ्रेंडस कॉलोनी नई दिल्ली के नाम (फसली वर्ष 1427–1432) श्रेणी–1क भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार के रूप में दर्ज है। इसका कुल रकवा

21.1860 हे0 अभिलेख दर्ज हैं। इसी के खसरा नम्बर 71 में 2.0060 हे0 पानी का तालाब खसरे में दर्ज अभिलेख है अर्थात बैनीताल झील इनकी निजी भूमि के अन्तर्गत दर्ज अभिलेख है।

4 — इसी खाते के खसरा नम्बर–73 व 74 में ग्राम रण्डोली, तहसील आदिबद्री, जिला चमोली के क्रमशः 1–श्री बिरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, (मो0न0–8057882554) 2– श्री चतर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, 3– श्री विनोद सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, 4– श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह द्वारा अपने–अपने पक्के लैण्टर सुदा आवासीय भवन/गौशाला निर्मित किये गये हैं, जिन्हें सजरे में क्रमशः 1, 2, 3 व 4 नम्बरानों से दर्शाया गया है। खातेदार द्वारा उक्त भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं ली गई है, जबकि जमीन खतौनी में दर्ज है। **(संलग्नक 04 अ फोटोग्राफ व 04 ब संयुक्त सर्वे रिपोर्ट)**

5 — ग्राम बेनीताल की खतौनी खाता संख्या–2 के खसरा नम्बर–95 रकवा 6.
359 है0 श्रेणी 5(2)– पुरानी परती (परती कदीम) जंगल के रूप में दर्ज है। इसी
खसरा नम्बर–95 में ग्राम रण्डोली के श्री पदम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह द्वारा पक्का
आवासीय लैण्टर वाला मकान व गौशाला निर्मित की गई है, तथा इसी खसरा नम्बर
में ग्राम रण्डोली के क्रमशः– 1–श्री केशर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, 2– श्री बलवीर
सिंह पुत्र श्री फते सिंह, 3– श्री धन सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, 4–श्री गोविन्द सिंह
पुत्र श्री सौणिया सिंह, 5– श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गजे सिंह, 6– श्री भरत सिंह
पुत्र श्री दर्शन सिंह, श्री मनवीर सिंह पुत्रगण श्री प्रताप सिंह, 7– श्री भवान सिंह पुत्र
श्री राम सिंह, 8– श्री पूरण सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, 9– श्री मान सिंह पुत्र श्री जिते
सिंह की बरसाती गौशालायें निर्मित हैं। इसी खसरा नम्बर में ग्राम सभा रण्डोली द्वारा
खाल निर्माण कार्य किया गया है। इसी के समीप कुछ क्षेत्र में लगभग 10 से 20
नाली भूमि में गेहूं आदि की खेती की गई है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा भूमि
के सम्बन्ध में कोई अभिलेख दिखाये नहीं जा सके तथा खसरा नम्बर–74 में प्राचीन
नन्दादेवी मन्दिर निर्मित है, जो दर्ज अभिलेख नहीं है। खसरा नम्बर–44, 51 व 54
में राजीव सरीन आदि के अपने आवासीय भवन निर्मित हैं। **(संलग्नक 5अ–
फोटोग्राफ व 5ब–संयुक्त सर्वे रिपोर्ट)**

विश्लेषण हेतु बोर्ड मुख्यालय देहरादून की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजे गये, जिसकी विश्लेषण आख्या दिनांक 29.04.2023 को प्राप्त हुई। **(संलग्नक 09अ, 09ब, 09स)**

16— बैनीताल झील के समीप छः घरों में जल आपूर्ति बेनीताल झील से लगभग 2 से 3 किमी0 की दूरी पर प्राकृतिक श्रोत घण्डियालधार से पाईप लाईन के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि बेनीताल झील से किसी प्रकार के पेय जल की आपूर्ति नहीं की जाती है।

17— यद्यपि उक्त झील प्राईवेट झील है, तथापि इसके पानी से ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व कतिपय गांवों की वनस्पतियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि यह झील पर्यावरण विशेषज्ञों के मतानुसार संरक्षित की जाती है तो इसका Ground Water Recharge, Micro Climate and Bio-Diversity, E-Flow of River पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रषित।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

प्रार्थी

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
प्रतिवादी सं0 03 एवं प्रतिनिधि
प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नक - 01(अ)

पंचवर्षीय खसरा (फसली वर्ष 1427 से 1431)

ग्राम- वैनीताल

रा0उ0नि0क्षेत्र- कोटी

तहसील-कर्णप्रयाग

जिला-चमोली

उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (1)

प्रमाणित किया जाता है कि यह खसरा ग्राम [illegible]
[illegible] 1427 से 1431 तक के लिए तैयार किया
गया है, खसरे के कॉलम 18 तक [illegible] पन्नों के
[illegible] नहीं है।

[illegible]
[illegible]
1.1.22 पु

पृष्ठ (ख़रीफ़) 20 राजस्व परिषद / 411–22 ... 00 (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

Scanned with OKEN Scanner

255

संलग्नक 1(2)

भाग ४ क-3

(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	62.786	2	जंगल																	
2	44.493	2	—"—																	
3	7.482	2	—"—																	
4.	0.010	1	राजीव स्टीन, सजीत स्टीन पुत्रगण प्रेमनाथ आदित्य स्टीन पुत्र राजीव स्टीन निवासी H 132 न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली कुल 3 हि० ✻																	
5	0.040	1	छ० रस्तु०																	
6	0.015	1	—"—			सांवा		015										दरपा	015	
7	0.024	1	—"—			संभा		0024												
8	0.033	1	—"—															कांगर	033	
9	0.145	1	—"—															—"—	145	
10.	0.113	1	—"—															—"—	0113	
11	0.110	1	—"—															—"—	110	
12	0.130	1	—"—															—"—	130	
13	0.045	1	—"—															—"—	045	
14	0.100	1	—"—															—"—	100	

Scanned with OKEN Scanner

1?	0.08?	1	—॥—			—॥—	संलग्नक 1(3)
16	0117	1	—॥—			—॥—	
17	0.499	1	—॥—			—॥—	
18	0.591	1	—॥—			—॥—	
19	0.055	1	—॥—			—॥—	
20	0041	1	—॥—			—॥—	
21	0040	1	—॥—			—॥—	
22	0.055	1	—॥—			—॥—	
23	0.055	1	—॥—			—॥—	
24	0003	1	—॥—			—॥—	
25	0.454	1	—॥—			—॥—	
26	0028	1	—॥—			—॥—	
27	0008	1	—॥—			रास्ता 008	
28	0093	1	—॥—			बंजर 093	
29	0034	1	—॥—	सूना	034		
30	0088	1	—॥—	—॥—	088		
31	0080	1	—॥—	—॥—	080		
32	0083	1	—॥—	—॥—	083		

पीएसयूपी (राजस्व) 20 राजस्व परिषद/411-22 ...(कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

117.035

रास्ता 0.0.39
सूना 0.285

संलग्नक 1(4)

21

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (ब)

वर्तमान ग्राम खतौनी

ग्राम क्रमांक :	041480
ग्राम का नाम :	वैनीताल
परगना :	कर्णप्रयाग
तहसील :	कर्णप्रयाग
जनपद :	चमोली
फसली वर्ष :	1427-1432
भाग :	1

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक (1ब1)

वर्तमान ग्राम खतौनी

ग्राम क्रमांक : 041480 ग्राम का नाम : बैनीताल परगना : कर्णप्रयाग तहसील : कर्णप्रयाग जनपद : चमोली फसली वर्ष :1427-1432 भाग : 1

1	2	3	4	5	6	7-12	13	
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी	
1 - ऐसी भूमि जिसमे सरकार अथवा गाँव समाज या अन्यस्थानीय अधिकारी को जिसे 1950 ई के उ.प्र जमीदारीविनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौपा गया हो या खेती करता हो (नदारद)								
1-क - भूमि जो सक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो								
00001	राजीव सरीन । हि0 / प्रेमनाथ ए-132न्यू फ्रिण्डस / कालोनी नई दिल्ली	1373	4	0.0100				00001
	अजीत सरीन । हि0 / प्रेमनाथ ए-132न्यू फ्रिण्डस / कालोनी नई दिल्ली	1373	5	0.0400				
	आदित्यसरीन । हि0 / राजीवसरीन ए-132न्यू फ्रिण्डस / कालोनी नई दिल्ली कुल 3 हि0	1373	6	0.0150				
		1373	7	0.0240				
		1373	8	0.0330				
		1373	9	0.1450				
		1373	10	0.1130				
		1373	11	0.1100				
		1373	12	0.1300				
		1373	13	0.0450				
		1373	14	0.1000				
		1373	15	0.0880				
		1373	16	0.1430				
		1373	17	0.1990				
		1373	18	0.3910				
		1373	19	0.0350				
		1373	20	0.0410				
		1373	21	0.0400				
		1373	22	0.0330				
		1373	23	0.0330				
		1373	24	0.0530				
		1373	25	0.0390				
		1373	26	0.0280				
		1373	27	0.0080				
		1373	28	0.0930				
		1373	29	0.0340				
		1373	30	0.0880				
		1373	31	0.0800				
		1373	32	0.0830				
		1373	33	0.1030				
		1373	34	0.0600				
		1373	35	0.0330				
		1373	36	0.1660				
		1373	38	0.1280				
		1373	39	0.0230				

o यह खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

Scanned with OKEN Scanner

2023

सलग्नक - 02

कार्यालय आदेश

मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या 54/2023 रत्नेश्वर कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 14.02.2023 नैनीताल झील के समीप वृक्षों के पातन एवं अतिक्रमण के क्रम में सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या यू०पी०सी०बी० एन०ओ० सा० 101/2023/1910 दिनांक 06 मार्च 2023 के द्वारा विषयगत प्रकरण के निम्नानुसार निरीक्षण किये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

1. -	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष।
2. -	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर	सदस्य सचिव
3 -	उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग -	सदस्य।
4. -	अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्णप्रयाग	सदस्य।
5. -	तहसीलदार, कर्णप्रयाग	सदस्य।

उक्त गठित समिति मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या 54/2023 रत्नेश्वर कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.02.2023 के परिपालन में अनुपालन आख्या दो सप्ताह भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। ताकि अनुपालन आख्या नियत समयान्तर्गत मा० एन०जी०टी० एवं शासन को प्रेषित की जा सके।

दिनांक 22 मार्च 2023

ह०/ 22.03.2023
(हिमांशु खुराना)
जिलाधिकारी
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या-8238/इक्कीस-एल०सी०सी०-12/2021-2022 दिनांक गोपेश्वर 23 मार्च, 2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड शासन।
2. - अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी।
3. - सदस्य/सचिव, प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कॉलोनी देहरादून।
5. - श्री अनुराग नेगी पर्यावरण अभियंता, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, देहरादून।
6. - सदस्य/उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग।
7. - सदस्य/अधीशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्णप्रयाग।
8. - कार्यालय प्रति।

Signed by Chandan Bankoti
Date: 23-03-2023 11:45:10
कृते-जिलाधिकारी चमोली।

YEAR 2021-23
DEPART. XXI - LCC
REGISTER 5037
DATE 23-3-2023

23/03/23

E-Mail No.
Date 23/03/2023
Signature

आज दि० 6-4-2023 को जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं० 3238/इक्कीस एल०डी०डी०-12/2021-22 दि० 23 मार्च 2023 के द्वारा वन्य ... झील के समीप वृक्षों के पातन एवं भूमि क्षरण एवं झील का निरीक्षण किया गया निरीक्षण में निम्न सदस्य उपस्थित रहे,

1. मुख्य विकास अधिकारी - चमोली
2. प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी - " - - " -
4. अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान कर्णप्रयाग
5. उप निदेशक राजस्व विभाग कर्णप्रयाग
6. राजस्व निरीक्षक - " -
7. अरविन्द सिंह नेगी वन क्षेत्राधिकारी नारायण बगड़
8. ... सिंह बिष्ट वनदरोगा
9.
10. 1 दिनेश चन्द्र लखेड़ा वन आरक्षी
11. " प्रेम चन्द्र गौड़ वन आरक्षी
12. " सतीश गौड़ बंगाली ...
13. " दिग्पाल सिंह मैठेल ग्रा०प्र०
14. " राकेश रतूड़ी रतूड़ी
15. " उमा प्रसाद रतूड़ी "
16. " अनुराग नेगी युवक ...
17. " एस के डिमरी
18. " प्रेम सिंह
19. " कमल सिंह
20. " मदन सिंह
21. " सोबत सिंह रावत बद्रीनाथ

0. RAJIV SARIN

6-4-2023

Scanned with OKEN Scanner

चमोली।

सेवा में,

संलग्नक 4अ एवं संलग्नक 5ब

जिलाधिकारी,
चमोली।

संख्या 236 /वैय0सहा0–मु0वि0अ0–2023 दिनांक 07 अप्रैल, 2023

विषयः– मा0 एन.जी.टी में योजित मूल आवेदन संख्या–54 रत्नेश्वर कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 14.02.2023 "बैनीताल झील में समीप वृक्षों के पातन एवं अतिक्रमण" के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट का प्रेषण विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय आदेश संख्या 3238/इक्कीस–एल.बी.सी.–12/2021–23 दिनांक 23 मार्च 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन.जी.टी में योजित मूल आवेदन संख्या–54 रत्नेश्वर कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 14.02.2023 "**बैनीताल झील में समीप वृक्षों के पातन एवं अतिक्रमण**" के सम्बन्ध में आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए संयुक्त निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट संलग्न कर सेवा में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय,

डॉ0 (ललित नारायण मिश्र P.C.S.)
मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डॉ0 (ललित नारायण मिश्र P.C.S.)
मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक- 40
संलग्नक -5 262

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2023 रत्नेश्वर कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14-02-2023 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा की गई निरीक्षण आख्या

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2023 रत्नेश्वर कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 14-02-2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थे।

"In View of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the representative of Chief Secretary, Government of Uttarakhand, the Principal Chief Secretary Government of Uttarakhand, the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Government of Uttarakhand, State PCB and District magistrate Chamoli and direct the same to meet within two weeks, Undertake visit to the site, look into the grievances of the applicant, to verify the factual position regarding the extent and catchments area of the lake and encroachment on the same with the help of revenue record and satellite images and suggest appropriate remedial action for removal of encroachments and restoration of the catchment area to protect the Benital Lake from degradation The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance"

अगेत्तर उक्त आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी चमोली ने अपने आदेश संख्या–3238 दिनांक 23 मार्च 2023 के द्वारा विषयगत प्रकरण में निरीक्षण कर अनुपालन आख्या भेजे जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की गई :–

1– मुख्य विकास अधिकारी, चमोली – अध्यक्ष।
2– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर – सदस्य सचिव।
3– उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग – सदस्य।
4– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्णप्रयाग – सदस्य।
5– तहसीलदार कर्णप्रयाग – सदस्य।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में गठित समिति/अधिकारियों द्वारा दिनांक 06-04-2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित थे।

1– डॉ0 ललित नारायण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
2– श्री सर्वेश कुमार दुबे, प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3– श्रीमती पूजा रावल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
4– श्री अनुराग नेगी, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
5– श्री दिनेश चन्द्र पुरोहित, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कर्णप्रयाग।
6– श्री विजेन्द्र सिंह गुंसाई, राजस्व निरीक्षक, सिमली।
7– श्री हरीश कुमार पोखरियाल, राजस्व उप निरीक्षक कोटी।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त स्थलीय निरीक्षण में निम्न तथ्य संज्ञान में आये:-

(1)- ग्राम बेनीताल की खतौनी खाता संख्या-1 में खसरा नम्बर-71 रकवा 2.006 है0 में खाता धारक श्री राजीव सरीन, अजीत सरीन पुत्रगणं प्रेमनाथ, आदित्य सरीन पुत्र राजीव सरीन, ए-132 न्यू फ्रेडस कॉलोनी नई दिल्ली के नाम ZA (फसली वर्ष 1427-1432) श्रेणी-1 क- भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार में हो, के रूप में दर्ज है। इसी खसरा नम्बर में पानी का तालाब खसरे में दर्ज अभिलेख है।

(2)- इसी खाते के खसरा नम्बर-73 व 74 में ग्राम रण्डोली, तहसील आदिबद्री, जिला चमोली के क्रमशः 1- श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, (मो0न0-8057882554) 2- श्री चतर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, 3- श्री विनोद सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, 4- श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह द्वारा अपने-अपने पक्के लैण्टर सुदा आवासीय भवन/गौशाला निर्मित किये गये हैं, जिन्हें सजरे में क्रमशः 1, 2, 3 व 4 नम्बरानों से दर्शाया गया है। खातेदार द्वारा उक्त भवनों के निमार्ण की अनुमति नहीं ली गई है, जबकि जमीन ZA खतौनी में दर्ज है।

(3)- ग्राम बेनीताल की खतौनी खाता संख्या-2 के खसरा नम्बर-95 रकवा 6.359 है0 श्रेणी 5(2)- पुरानी परती (परती कदीम) जंगल के रूप में दर्ज है। इसी खसरा नम्बर-95 में ग्राम रण्डोली के श्री पदम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह द्वारा पक्का आवासीय लैण्टर वाला मकान व गौशाला निर्मित की गई है, तथा इसी खसरा नम्बर में ग्राम रण्डोली के क्रमशः- 1-श्री केशर सिंह, पुत्र श्री जीत सिंह, 2- श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री फते सिंह, 3- श्री धन सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, 4- श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सौणिया सिंह, 5- श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गजे सिंह, 6- श्री भरत सिंह पुत्र, श्री दर्शन सिंह, श्री मनवीर सिंह पुत्रगण श्री प्रताप सिंह, 7- श्री भवान सिंह पुत्र श्री राम सिंह, 8- श्री पूरण सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, 9-श्री मानं सिंह पुत्र श्री जिते सिंह की बरसाती गौशालायें निर्मित हैं। इसी खसरा नम्बर में ग्राम सभा रण्डोली द्वारा खाल निमार्ण कार्य किया गया है। इसी के समीप कुछ क्षेत्र में लगभग 10 से 20 नाली भूमि में गेहूं आदि की खेती की गई है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा भूमि के सम्बन्ध में कोई अभिलेख दिखाये नहीं जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

(4)– खसरा नम्बर–74 में प्राचीन नन्दादेवी मन्दिर निर्मित है, जो दर्ज अभिलेख नहीं है। खसरा नम्बर–44, 51 व 54 में राजीव सरीन आदि के अपने आवासीय भवन निर्मित हैं।

(5)– उक्त स्थल व बेनीताल झील की विशेषज्ञ द्वारा जी0पी0एस0 मैपिंग की गई। जी0पी0एस0 मैपिंग के द्वारा बेनीताल झील का कुल क्षेत्रफल 1.89 है0 आया। उक्त के अतिरिक्त श्री राजीव सरीन आदि की प्राईवेट बाउण्ड्री में स्थित मुनारों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 23.3 है0 आया। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि 21.186 है0 दर्ज है।

(6) –निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त बेनीताल झील में काफी मात्रा में जलीय घास पायी गई। बेनीताल झील के अन्दर जलीय जीव जन्तुओं के संरक्षण एवं साफ–सफाई हेतु कोई ठोस प्रबन्ध परिलक्षित नहीं हुये। उक्त झील की परिधि पर चारों तरफ 10–20 सेमी0 से 60–70 सेमी0 व्यास वर्ग के विभिन्न प्रजातियों के 9 वृक्ष पाये गये, जिनमें से 02 वृक्ष सूख कर टूटे हुये पाये गये हैं।

(7)– पिछले पांच वर्षो में प्रथम दृष्टया अवैध पातन की पुष्टि नहीं की जा सकी। यद्यपि उक्त स्थल पर काफी पुराने ठूंठ पड़े हुये पाये गये, (फोटोग्राफ्स संलग्न हैं)

(8)– पिछले वर्षो की जी0पी0एस0 मैपिंग (अप्रैल माह के दौरान) यह भी पाया गया कि झील के फैलाव में पूर्व की तुलना में कमी पाई गई। राजस्व अभिलेख के अनुसार पूर्व में बेनीताल झील का कुल क्षेत्रफल 2.006 है0 था, जबकि वर्तमान में निरीक्षण के दौरान की गई जी0पी0एस0 मैपिंग/मौका निरीक्षण में यह क्षेत्रफल 1.89 है0 पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्व की तुलना में बेनीताल झील के फैलाव में 0.116 है0 की कमी आई है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षो की Geographical Image से भी तुलना करने पर झील का स्वरूप घटा है। (Google Earth Image संलग्न है)

(9)– बेनीताल झील के आस–पास के निरीक्षण से यह भी ज्ञात हुआ कि झील में एकत्रित जल का मुख्य वाटर शेड आस–पास के वन क्षेत्र हैं। वन क्षेत्रों द्वारा ही सतही/भूमिगत जल तथा निकासी करके आगे बहता है।

(10)–निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर Tea Shurbs होने के कुछ प्रमाण नहीं मिले हैं। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

Scanned with OKEN Scanner

(11)–निरीक्षण के समय पाया गया कि भू–स्वामी द्वारा भी बेनीताल झील के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कोई अतिरिक्त विशेष उपाय नहीं किये गये हैं। चूँकि यह झील उनकी निजी सम्पत्ति है, अतः इस पर ज्यादा टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

(12)– निरीक्षण के समय बेनीताल झील की परिधि में कटाव भी देखा गया, जो कि वर्षाकाल में पानी भरने से मृदा अपरदन के कारण होना प्रतीत होता है। किसी प्रकार के मानवीय या मशीनरी द्वारा कटाव की पुष्टि नहीं हुई है।

(13) उक्त स्थल (बेनीताल झील) के आस–पास कुछ मात्रा में ठोस अपशिष्ट (जैसे प्लास्टिक बोतल, रैपर, कांच की बोतल) बिखरा पाया गया, जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग मैटेरियल, कांच की बोतले, पानी की बोतलें (प्लास्टिक की) बिखरी हुई पायी गई।

(14)– उक्त स्थल के आस–पास के गांवों से आने वाले घरेलू जानवरों का विचरण होता भी पाया गया, जिनसे जनित Cattle Dung भी झील के आस–पास एकत्र पाया गया।

(15)– उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बेनीताल झील की उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में जल का नमूना एकत्रण किया गया। झील के निकटतम आवास श्री राजीव सरीन आदि के प्रांगण से जल का नमूना भी एकत्रण किया गया। उक्त जल बेनीताल से लगभग 2–3 किमी0 दूर घण्डियाल धार से आता है। उक्त के अतिरिक्त घण्डियाल गांव में प्राकृतिक श्रोत का भी नमूना एकत्रण किया गया। सभी नमूने विश्लेषण हेतु बोर्ड मुख्यालय देहरादून की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजे जायेंगे, जिसकी विश्लेषण आख्या कुछ समय बाद ही प्राप्त हो सकेगी, जिसको पृथक रूप से प्रेषित कर दिया जायेगा।

(16)–बेनीताल झील के समीप छः घरों में जल आपूर्ति बेनीताल झील से लगभग 2 से 3 किमी0 की दूरी पर प्राकृतिक श्रोत घण्डियालधार से पाईप लाईन के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि बेनीताल झील से किसी प्रकार की पेय जल की आपूर्ति नहीं की जाती है।

(17)– यद्यपि उक्त झील प्राईवेट झील है, तथापि इसके पानी से ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व कतिपय गांवों की वनस्पतियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि यह झील पर्यावरण विशेषज्ञों के मतानुसार संरक्षित की जाती है तो इसका Ground Water Recharge, Micro Climate व Bio-Diversity, E-Flow of River पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(18)–भूमि खाताधारक के मुनारो के अन्दर वृक्षों की गणना हेतु अत्यधिक समय लगेगा, जिसके लिए पृथक से वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पृथक से प्रेषित की जायेगी। इसके अतिरिक्त समिति की राय में भौतिक सर्वे के साथ–साथ G.I.S/Remote Sensing से भी पिछले वर्षो के पेड़ों एवं वनस्पतियों की ईको सिस्टम के तहत गणना की जाय। इसके लिए विशेषज्ञ एजेन्सी जैसे I.I.R.S (Indian institute of remote sensing) अथवा F.S.I (Forest survey of India) को कार्य सौंपा जाना उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक प ३
संलग्नक 266

उपरोक्तानुसार गठित समिति की निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(हरीश कुमार पोखरियाल)
राजस्व उप निरीक्षक कोटी।
प्रतिनिधि तहसीलदार कर्णप्रयाग।

(बिजेन्द्र सिंह गुंसाई)
राजस्व निरीक्षक सिमली
प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग।

(दिनेश चन्द्र पुरोहित)
सहायक अभियन्ता
जल संस्थान कर्णप्रयाग।
प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता

(अनुराग नेगी)
पर्यावरण अभियन्ता,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, देहरादून।

(पूजा रावत)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(डॉ0 ललित नारायण मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली।

संलग्न - उपरोक्त

Scanned with OKEN Scanner

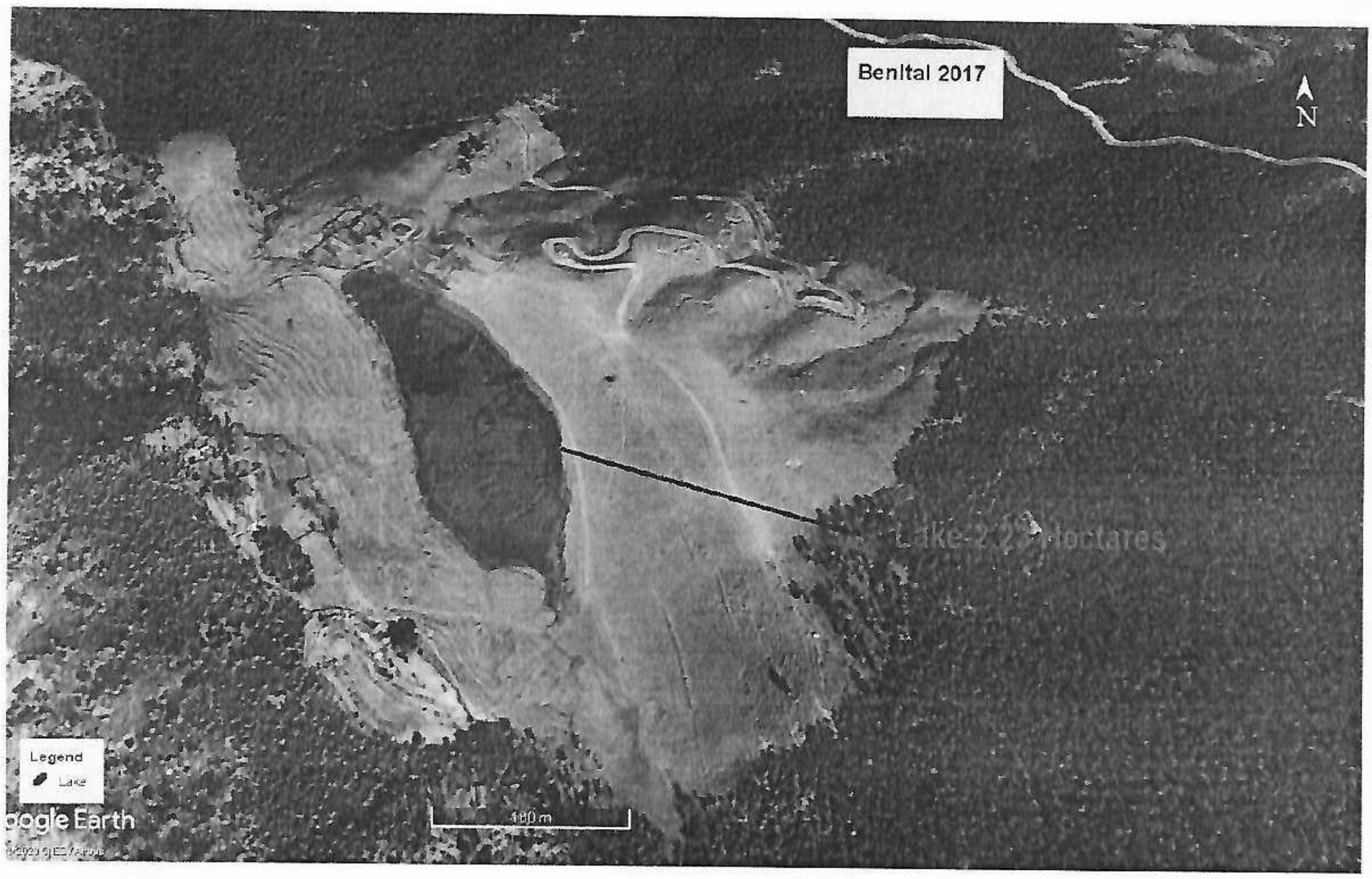
Benital 2017
N
Legend
Lake
oogle Earth

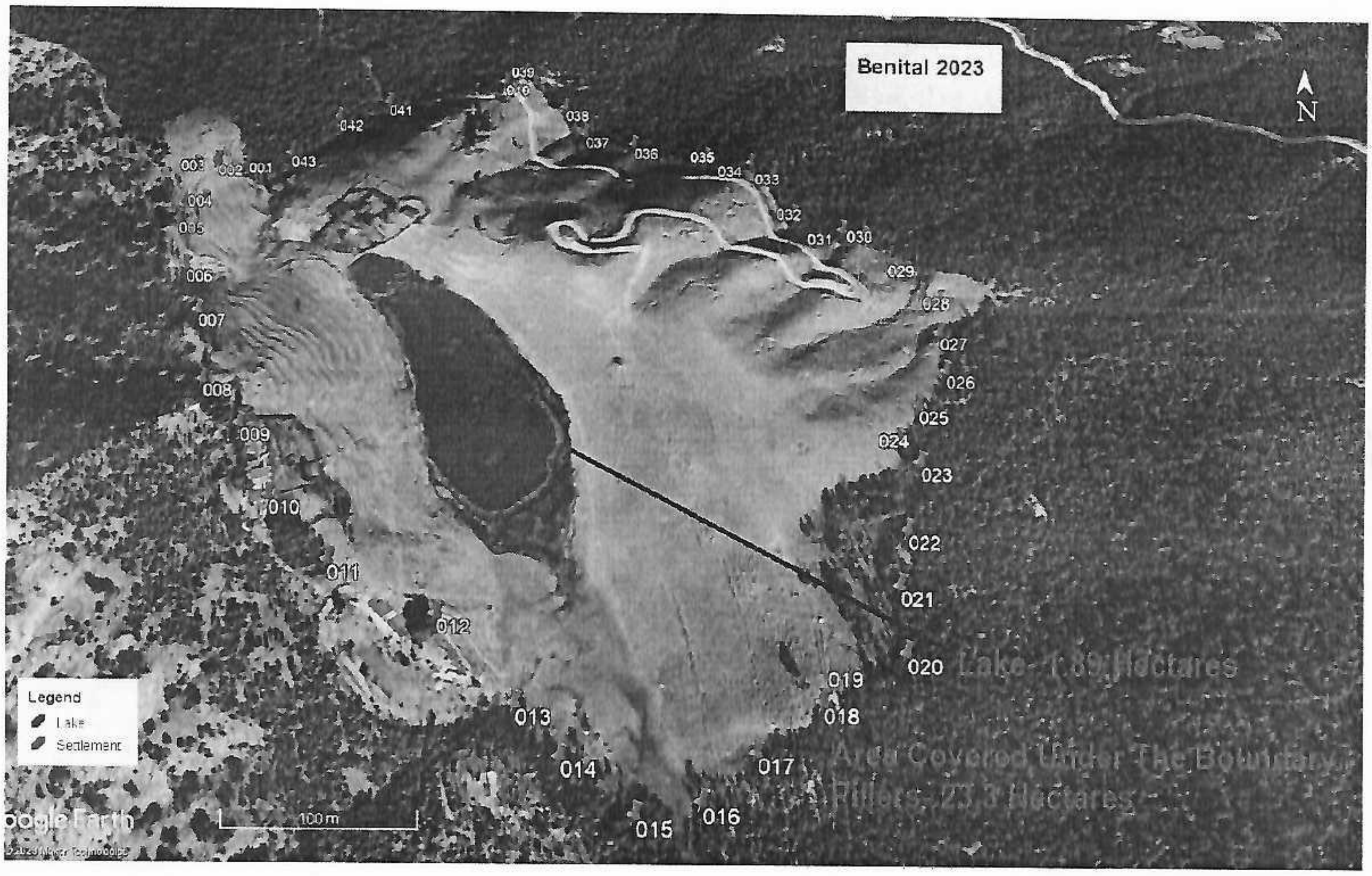
Benital 2023
N
Legend
Lake
Settlement
100 m
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
041
042
043
Area Covered Under The Boundary
Pillars- 23.3 Hectares

सेलग्नक -07

बैनीताल स्टेट श्री राजीव सरीन के बाउण्ड्री के अन्दर वर्तमान में विभिन्न प्रजातियों के खड़े वृक्षों की गणना सूची–

क्र0 सं0	प्रजाति	वृक्षों की व्यावार विवरण											जी0पी0एस0 रीड़िंग		अभ्युक्ति
		0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90–ऊपर	योग	अक्षांश	देशान्तर	
1	बांज हरा खड़ा	176	66	45	27	9	1	1	--	--	--	325	30° 09' 34"	79° 14' 56"	
2	ममोरा हरा खड़ा	11	11	24	3	1	--	--	--	--	--	50	30° 09' 34"	79° 14' 56"	
3	खगीस हरा खड़ा	1	--	4	2	--	--	--	--	--	--	7	30° 09' 33"	79° 14' 55"	
4	मेहल हरा खड़ा	8	5	4	4	--	--	--	--	--	--	21	30° 09' 32"	79° 14' 55"	
5	कौवें हरा खड़ा	8	1	--	3	1	--	1	--	--	--	14	30° 09' 31"	79° 14' 55"	
6	तिलोज हरा खड़ा	6	6	20	3	--	--	--	--	--	--	35	30° 09' 30"	79° 14' 54"	
7	चीड़ हरा खड़ा	--	--	1	1	6	--	--	--	--	--	8	30° 09' 28"	79° 14' 52"	
8	मजनू हरा खड़ा	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	4	30° 09' 28"	79° 14' 50"	
9	अंयार हरा खड़ा	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	2	30° 09' 29"	79° 14' 47"	
10	बुरांश हरा खड़ा	1	3	1	1	1	--	--	--	--	--	7	30° 09' 33"	79° 14' 43"	
11	पदम हरा खड़ा	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	30° 09' 37"	79° 14' 40"	
12	दुदिला हरा खड़ा	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	30° 09' 43"	79° 14' 37"	
13	अखरोट हरा खड़ा	--	5	2	4	2	--	--	1	--	--	14	30° 09' 45"	79° 14' 38"	
14	नाशपाती हरा खड़ा	--	2	--	1	2	2	--	--	--	--	7	30° 09' 47"	79° 14' 43"	
15	काफल हरा खड़ा	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3	30° 09' 40"	79° 14' 56"	
	योगः–	211	104	106	50	22	3	2	1	--	--	499			

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर रेंज
नारायणबगड़ चमोली

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 08

Scanned with OKEN Scanner